7 मीटर चौड़ी सड़क पर भी बनेंगे प्लेज पार्क

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मिली हरी झंडी

NBT रिपोर्ट, लखनऊ : उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग के तहत शुरू की गई प्लेज (प्रमोटिंग लीडरशिप ऐंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन) पार्क योजना में सरकार ने रियायत का पिटारा खोल दिया है। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि योजना के तहत पहले 12 मीटर चौड़ी सड़क पर 10 एकड़ से अधिक जमीन पर प्लेज पार्क विकसित किया जा सकता था। अब 7 मीटर चौड़ी सड़क पर भी प्लेज पार्क बनाया जा सकेगा। अगर मुख्य सड़क से 2.5 किमी अंदर चकरोड पर जमीन है तो 15 से 50 एकड़ के बीच प्लेज पार्क विकसित करने पर पीडब्ल्यूडी विभाग संपर्क रोड बनाएगा। इसके लिए आवश्यक जमीन का अधिग्रहण उसका खर्च भी वही उठाएगा।

विकास प्राधिकरणों में भी प्लेज पार्क बनाने पर डिवेलपमेंट चार्ज 100% से घटाकर 25% कर दिया गया है। मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। अब विकास प्राधिकरण की जगह औद्योगिक आयुक्त के स्तर से ही इसे मंजूरी दे दी जाएगी। योजना के तहत प्रति एकड़ 50 लाख रुपये तक सरकार डिवेलपर को सहायता देती है। अब सर्किल रेट की बाध्यता खत्म कर दी गई है।

जज को अधिक कार लोन, निजी सचिवों का प्रमोशन : कैबिनेट ने जजों के लिए कार लोन की सीमा बढ़ाकर 8 लाख से 10 लाख रुपये कर दिया है। अडवांस लोन के लिए उन्हें 5% ब्याज देना होगा। वहीं, एक अन्य फैसले में हाई कोर्ट के 156 पदों को अपर निजी सचिवों को ग्रेड-1 में प्रमोशन को मंजूरी दे दी गई है। अभी निजी सचिव के ग्रेड-1 के स्वीकृत पदों की संख्या 290 है, लेकिन जजों की संख्या के अनुसार कुल पद 446 होना चाहिए।

ग्रेटर नोएडा-बलिया एक्सप्रेस-वे का काम जेपी से लिया गया : सरकार ने ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 8 लेन एक्सप्रेस-वे बनाने का काम जेपी ग्रुप से ले लिया है। इसके लिए 2008 और 2011 में यूपीडा व जेपी ग्रुप के बीच हुए एग्रीमेंट को रद्द करने पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है। जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर ने जमीन अधिग्रहण के लिए जो 25.95 करोड़ रुपये जमा किए गए थे, उसमें 3.26 करोड़ रुपये वापस किए जाएंगे।

दिल्ली आतंकी घटना की निंदा : एक अन्य प्रस्ताव में दिल्ली में हुए आतंकी ब्लास्ट की निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई।

ईएनए पर परमिट शुल्क : शराब बनाने के लिए होने वाली एक्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) की खरीद पर प्रदेश सरकार परमिट शुल्क लगाएगी।

कैबिनेट में ये फैसले भी हुए

- बागपत में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज के लिए मत्स्य विभाग की 5.07 हेक्टेअर जमीन निःशुल्क दी जाएगी।
- सकलडीहा में स्टांप विभाग का रजिस्ट्री दफ्तर बनेगा।
- पुलिस को वज्र वाहन खरीदने के लिए 9.70 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के संचालित कॉलेज अपग्रेड कर शुकदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय का गठन होगा।
- पंचायती राज संस्थाओं का 2019-20 का प्रतिवेदन विधानमंडल में रखा जाएगा।
- खाद्य प्रसंस्करण का निदेशालय गठित होगा, आईएएस निदेशक के तौर पर तैनात होगा।
- पीडब्ल्यू विभाग में अभियंता सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
- लेखपाल सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इससे अब राजस्व विभाग में भर्ती हुए चैनमैन प्रमोशन के आधार पर लेखपाल बनाए जा सकेंगे।
- कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के तहत सोलर पंपों की स्थापना के लिए नई कार्ययोजना को मंजूरी दी है। वर्ष 2025-26 में 40,521 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य तय किया गया है। किसानों को टेंडर मूल्य पर 60% अनुदान मिलेगा।